

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1343 / 2009 / बूंदी

मैसर्स बूंगे इण्डिया लिमिटेड, बूंदी।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
बृत्त-बूंदी।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,

.....अपीलार्थी की ओर से

अभिभाषक।

श्री अनिल पोखरणा,

.....प्रत्यर्थी की ओर से

उप राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 15.05.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा, के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.08.2009 जो अपील संख्या 06 / सीएसटी / 2009–10 / बूंदी के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिरामें अपीलार्थी अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, बृत्त-बूंदी (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी”) कहा जायेगा, द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “केन्द्रीय अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 9 सपष्टित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 के तहत पारित निर्धारण आदेश के जरिये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्ररूप “एफ” को अस्वीकार किये जाने को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का निर्धारण वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2008 को पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित घोषणा प्ररूप “एफ” प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग कायम कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 31.03.2008 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तत्कालीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जारिये आदेश दिनांक 11.08.2008 के जरिये शेष रहे घोषणा प्ररूप “एफ” को प्रतरुत करने हेतु दिनांक 31.12.2008 तक का समय दिया गया। परंतु उक्त नियत तिथि के पश्चात् दिनांक 17.06.2009 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा शेष रहे

घोषणा प्ररूप "एफ" प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्ररूप "एफ" को अस्वीकर कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्ररूप "एफ" को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पूर्व में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.08.2008 के जरिये वांच्छित घोषणा प्ररूप "एफ" प्रस्तुत करने हेतु उचित समय प्रदान किया गया था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा नियत तिथे अर्थात् दिनांक 31.12.2008 के पश्चात् प्रस्तुत घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2009 की पुष्टि कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विवादित बकाया मांग राशि घोषणा प्ररूपों "एफ" आदि से संबंधित है, जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन्हें निर्धारण अधिकार द्वारा बिना विचार किये ही अस्वीकार कर दिया गया। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से पारित निर्धारण आदेश, जो अधिनियम की धारा 37 के तहत पारित किय गये थे के विधिक व तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित निर्धारण आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गयी है, जो विधिसम्मत नहीं है। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कतिपय घोषणा प्ररूप "एफ" प्राप्त करने के उपरांत प्रस्तुत कर, मूल निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में संशोधन हेतु निवेदन किया गया था परन्तु उक्त को अस्वीकार कर दिया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को अन्य व्यवहारियों से घोषणा प्ररूप "एफ" प्राप्त करने में समय लगा है इसलिये घोषणा प्ररूप "एफ" की प्रस्तुति में देरी सद्भाविक है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि घोषणा प्ररूप किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य बनाम गुजरात अम्बुजा सिमेन्ट लि. व अन्य 142 एस.टी.सी. 1, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत 30 टैक्स अपडेट 282, 38 टैक्स अपडेट 157 व 33 टैक्स अपडेट 246 को

प्रोद्धरित कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से दिनांक 23.01.2015 का आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र की ओर ध्यानाकर्षित किया कि उक्त जारी परिपत्र में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा अवर अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य बनाम् गुजरात अम्बुजा सिमेन्ट लि. व अन्य 142 एस.टी.सी. 1, के आलोक में, प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. अतः प्रोद्धरित परिपत्र व माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त विवादित बिन्दु पर प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में; अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत घोषणा पत्र अनुसार अन्तर कर तथा ब्याज कम किये जाने के निर्देश देने की भी प्रार्थना की गयी।

7. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कर निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश विधिसम्मत पारित होने के कारण अपील अपास्त योग्य है।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। उद्धरित निर्णयों, परिपत्रों का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की प्रस्तुती में हुयी देरी के कारण उक्त को अस्वीकार कर, आदेश पारित किये गये हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अन्य व्यवहारियों से घोषणा प्ररूप "एफ" प्राप्त करने में समय लगा है इसलिये घोषणा प्ररूप "एफ" की प्रस्तुति के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये कारणों के आलोक में, देरी सद्भाविक एवम् युक्तियुक्त है। माननीय न्यायालयों का भी निरंतर यह मत रहा है कि घोषणा प्ररूप किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किये जां सकते हैं। इसी कम में दिनांक 23.01.2015 को आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा परिपत्र जारी कर, अपर अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य बनाम् गुजरात अम्बुजा सिमेन्ट लि. व अन्य 142 एस.टी.सी. 1, के आलोक में घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति के संबंध में इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि "The declaration forms/certificates are proof for concessional rate of tax, and are required to assess the dealer at the applicable rate of tax at the time of assessment. In view of the above mentioned Hon'ble Supreme Court judgement, it is directed that if a dealer submits declaration forms/certificates, even after the stipulated period along

with an application mentioning the cause for delay, the Assessing Authority should accept it after ascertaining that the dealer was prevented by a sufficient cause for not furnishing the declaration forms/certificates in time.

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम हैदराबाद एस्वेस्टस सीमेन्ट प्रॉडक्शन लि., 1994 एस.टी.सी. 410 में घोषणा प्ररूप की प्रस्तुत में हुयी देरी के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है:- “.....The aforesaid observations show that the mere use of the words "the first assessing authority" in sub-rule (7) of Rule 12 cannot and does not mean, in the context and scheme of the enactments concerned herein, that the appellate authorities do not have the power to receive Form-C in appeal. This power can of course be exercised only where sufficient cause is shown by the dealer for not filing them up to the time of assessment before the first assessing authority. If in a given case, a dealer had obtained further time from the first assessing authority and yet failed to produce them before him, it is obvious that the appellate authority would adopt a stiffer standard in judging the sufficient cause shown by the dealer for not producing them earlier. It is necessary to reiterate that receipt of those forms in appeal cannot be a matter of course; it should be allowed only where sufficient cause is established by the dealer for not producing them before the first assessing authority as contemplated by Rule 12(7). The requirement of the said sub-rule cannot be excluded consideration by the appellate court, while judging the sufficiency of the cause shown. It must be remembered that is the primary obligation of the dealer and his failure to abide by it must be properly explained.”

9. अतः हस्तगत प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.01.2015 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्ररूप “एफ” की जांच कर, नियमानुसार कायम की गयी कर व अनवृत्ती ब्याज की मांग राशियों में कमी करें।

10. उक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाकर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपयुक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

15.5.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य

3873  
(बी.के.मीणा)  
अध्यक्ष